न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं0 : 68/2022

1. कमला पुत्री रेशमा पत्नी चन्दूराम जाति नायक निवासी भनाई त0 भादरा।

-प्रार्थीया

बनाम

1. फुलाराम पुत्र देवूराम जाति नायक निवासी नुआ त0 भादरा।
2. सांवलमल पुत्र देवूराम जाति नायक निवासी नुआ त0 भादरा।
3. पूर्णमल पुत्र देवूराम जाति नायक निवासी नुआ त0 भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री लादूराम धायल- **प्रार्थीया**

वकील श्री पवन सिहाग- **अप्रार्थीगण**

दिनांक : 11.5.22

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 107/129 के खसरा न0 569 की 3.693है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण व जगदीश पुत्र देवूराम के नाम दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि चन्दूराम ने आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व ही अपनी पुत्री रेशमा को अपने गाव भनाई में बसा लिया था उपरोक्त कृषि भूमि में रेशमा पत्नी मोहनलाल को कब्जा काश्त सम्भला दिया था। उसके बाद उक्त वाद भूमि रेशमा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी व उसके रेशमा के वारिसान के कब्जा काश्त में है। लेकिन अप्रार्थीगण ने गलत तौर पर उपरोक्त वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया जिससे प्रार्थी के हको पर विपरित असर पड रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

अत : प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है कि वह अपने हको की घोषणा करने से पूर्व अप्रार्थीगण वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि दरख्वास्त की मद स0 2 में दर्ज सजरा का हस्तगत प्रकरण में वर्णित वाद भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त वाद भूमि मिन अप्रार्थीगण व जगदीश पुत्र देवूराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, प्रार्थीया ने उक्त वाद भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण स 4 ता 9 के वहिस्सा बराबर होने का कथन गलत किया है। चन्दुराम के द्वारा उपरोक्त वाद भूमि के काश्तकारी अधिनियम के लागु होने से पूर्व निकालने का कथन भी गलत दर्ज है। उक्त वाद भूमि काश्तकारी अधिनियम लागु होने के सवत 2012 से ही हम अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिस पर प्रार्थीया का व उसके बहन भाईयो का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त वाद भूमि हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे निरन्तर चली आ रही है जिसके सभी प्रकार के सुख सुविधा हम अप्रार्थीगण द्वारा उपभोग किये जा रहे है इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा कब्जा काश्त अथवा मुखालफाना कब्जा/एडवर्स पॉजिसन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर हम अप्रार्थीगण को निहग तंग पेरशान किया जा रहा है। अत जवाब दरख्वास्त गय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे। जबकि वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि चन्दूराम ने आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व ही अपनी पुत्री रेशमा को अपने गांव भनाई में बसा

Scanned with CamScanner

लिया था उपरोक्त कृषि भूमि में रेशमा पत्नी मोहनलाल को कब्जा काश्त सम्भला दिया था। उसके बाद उक्त वाद भूमि रेशमा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी व उसके रेशमा के वारिसान के कब्जा काश्त मे है। लेकिन अप्रार्थीगण ने गलत तौर पर उपरोक्त वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया जिससे प्रार्थी के हको पर विपरित असर पड रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 107/129 के खसरा नं0 569 की 3.693ह0 वासनी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण व जगदीश पुत्र देवूराम के नाम दर्ज है।उक्त वर्णित वादभूमि चन्दूराम ने आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व ही अपनी पुत्री रेशमा को अपने गांव भनाई मे बसा लिया था उपरोक्त कृषि भूमि में रेशमा पत्नी मोहनलाल को कब्जा काश्त सम्भला दिया था। उसके बाद उक्त वाद भूमि रेशमा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी व उसके रेशमा के वारिसान के कब्जा काश्त में है। लेकिन अप्रार्थीगण ने गलत तौर पर उपरोक्त वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया जिससे प्रार्थी के हको पर विपरित असर पड रहा है। जबकि वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि कथन किया कि दरख्वास्त की मद सं0 2 में दर्ज सजरा का हस्तगत प्रकरण में वर्णित वाद भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त वाद भूमि मिन अप्रार्थीगण व जगदीश पुत्र देवूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, प्रार्थीया ने उक्त वाद भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण स 4 ता 9 के वहिस्सा बराबर होने का कथन गलत किया है। चन्दुराम के द्वारा उपरोक्त वाद भूमि के काश्तकारी अधिनियम के लागु होने से पूर्व निकालने का कथन भी गलत दर्ज है। उक्त वाद भूमि काश्तकारी अधिनियम लागु होने के संवत 2012 से ही हम अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिस पर प्रार्थीया का व उसके बहन भाईयों का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त वाद भूमि हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है जिसके सभी प्रकार के सुख सुविधा हम अप्रार्थीगण द्वारा उपभोग किये जा रहे है इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा कब्जा काश्त अथवा मुखालफाना कब्जा/एडवर्स पॉजिसन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर हम अप्रार्थीगण को निंहग तंग पेरशान किया जा रहा है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे जिस हेतु वकील अप्रार्थीगण ने 2015 (1) आरआरटी 633 नजीर पेश की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वकील अप्रार्थी ने हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हे चूकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीया वाद भूमि की किसी भी प्रकार की खातेदार अथवा सहखातेदार नहीं है और ना ही पूर्व में उक्त वाद भूमि पर कब्जा काश्त संबधी कोई गिरदावरी व साक्ष्य सबूत पेश किये है। जबकि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड मे रिकार्डेड खातेदार है जिसके खण्डन में प्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार के साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे ये सावित होता हो कि अप्रार्थीगण ने गलत तौर पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया है। जिससे प्रतीत होता है प्रार्थीया ने तथ्यों को छुपाकर महज अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग करने से वंचित करने के आशय से आवेदन पत्र अस्थाई निषाधाज्ञा पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के खिलाफ व अप्रार्थीगण के पक्ष में सावित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं

Scanned with CamScanner

दिया तो प्रार्थी को अधिकत्तम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ एडवर्स पॉजिशन के आधार पर बिना तथ्यों के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है । अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष मे और प्रार्थीया के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थीया का उक्त वादभूमि में किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त व अपने हक अधिकार होने का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार हैं व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया साबित नही पाया जाता है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के दूसरे व तीसरे बिन्दु सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का भी साबित नहीं होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.5.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़